(4)

पत्र सं0– 220 / टी0आर0यू0 / मनरेगा / 2024–25 / राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रेषक,

संयुक्त आयुक्त (टी0आर0यू0),
राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

अपर आयुक्त, राज्य कर,
जोन–गौतमबुद्धनगर, नोएडा।
समस्त अपर आयुक्त, ग्रेड–1,
राज्य कर, उ0प्र0।

लखनऊ: दिनांक, 03 सितम्बर, 2024

विषयः–ग्राम–पंचायतों में मनरेगा एवं केन्द्र / राज्य वित से पोषित योजनाओं में करापवंचन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मुख्यालय के आदेश सं0–215 दिनांक 28.08.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यालय स्तर पर मनरेगा की वेबसाइट www.narega.nic.in पर ग्राम पंचायतों को की जा रही आपूर्ति एवं सम्बन्धित व्यापारियों द्वारा दाखिल किये जा रहे रिटर्नो का परीक्षण करने पर विसंगतियां प्रकाश में लाते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों के कर निर्धारण अधिकारियों के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार (राज्य क्षेत्राधिकार) से सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2020–21 से अब तक वर्षवार किये गये कार्य / प्राप्त की गयी आपूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में वेबसाइट www.narega.nic.in तथा https://egramswaraj.gov.in से माल आपूर्ति करने वाली फर्मों की सूचना एकत्रित करते हुए, प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर कार्यवाही किया जाने तथा भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म के सम्बन्ध में समस्त सूचनाओं को अपर आयुक्त / अपर आयुक्त ग्रेड–1, राज्य कर के द्वारा प्रत्येक माह की 1 एवं 16 तारीख को (टी0आर0यू0 अनुभाग) मुख्यालय संलग्न प्रारुप में प्रेषित करने के निर्देश निर्गत किये गये थें।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अनुरोध है कि मनरेगा / राज्य–केन्द्री वित्त योजनाओं के प्रकरण में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्यकता है, जिसके लिये पूर्व में प्रेषित प्रारूप के स्थान पर संशोधित प्रारूप में सम्बन्धित सूचनाओं को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

अतः निम्न प्रारूप में सूचनाएं प्रेषित करने का कष्ट करें:–

जोन	सम्भाग	सेक्टर	सेक्टर के अधिक्षेत्र में कुल ग्राम पंचायत	सेक्टर के अधिक्षेत्र में स्थित कुल ग्राम पंचायतों में जांच किये गये प्रकरणों की संख्या	कॉलम 5 में जांच किये गये व्यापारियों में से राज्य क्षेत्राधिकार के व्यापारियों की संख्या	कॉलम 5 में जांच किये गये व्यापारियों में से केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के व्यापारियों की संख्या	राज्य क्षेत्राधिकार के व्यापारियों की संख्या जो अन्य सेक्टर / सम्भाग से सम्बन्धित हैं।	राज्य क्षेत्राधिकार तथा केन्द्रीय व्यापारियों की संख्या का योग जो अन्य सम्भाग / केन्द्रीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया है।	अन्य सम्भाग से प्राप्त प्रकरण	स्वयं के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रकरण	कुल प्राप्त मामलों की संख्या कॉलम (1011)	कॉलम 12 में प्राप्त मामलों में से त्रुटिपूर्ण मामलों की संख्या	कॉलम 13 में प्राप्त मामलों में प्रेषित DRC-1 की संख्या	निहित धनराशि	कितने मामलों में नोटिस प्रेषित किया जाना अवशेष है। (कॉलम 13–14)	DRC-07 में निहित धनराशि	जमा धनराशि
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**	**12.**	**13.**	**14.**	**15.**	**16.**	**17.**	**18.**

यह भी अवगत कराना है कि अपने जोन के अधीनस्थ न्याय निर्णयन अधिकारियों को उपरोक्त सूचना ग्राम पंचायत से सम्बन्धित विकसित किये गये MIS पर भी फीड करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार विश्वकर्मा)
संयुक्त आयुक्त (टी0आर0यू0)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

पृ0प0सं0 एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय पोर्टल के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर को उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

श्रीमती पूर्णिमा

03/9/2024

संयुक्त आयुक्त (टी0आर0यू0)
राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।

DC (IT)
03/09/024